न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 17/2023 राजस्व वाद

अनवान

1– काना पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
2– कल्याण पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
3– महादेव पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
4– पुखराज पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
5– रतन पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
6– फुलचन्द पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
7– बदाम पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
8– पिंकी पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
9– सोसर पत्नी जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा

– वादीगण

बनाम

1– नृसिंह गुर्जर पिता सुरजमल गुर्जर निवासी लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
2– कुका पिता सुरजमल गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री अरूणचन्द्र देराश्री (अधिवक्ता वादीगण)
श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2)

निर्णय

दिनांक 31-01-25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाद वादीगण अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि **ग्राम लाम्बियाकलां पटवार क्षैत्र लाम्बियाकलां भू.अ.नि. क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा की आराजी सं. 2547 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।** उपखण्ड न्यायालय बनेडा के प्रकरण सं. 55/2017 पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 की पालना में पत्थरगढ़ी दिनांक 18.04.2018 को की गई जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आराजी नं. 2547 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अवैध कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को वादी की खातेदारी आराजी से बेदखल कर वादीगण को कब्जा सिपूर्द कराये जाने के आशय की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी गण सादर फरमायी जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणों को जारी सम्मन नोटिस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 01 व 02 के अनुपास्थित होने से उनके विरूध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आगामी पेशी में अधिवक्ता मुरारी जोशी द्वारा प्रतिवादी सं. 01 व 02 की ओर से अधिकारी पत्र मय प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली की गई व जिसकी एक प्रति नकर वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 का जवाब प्रस्तुत कर किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर आगामी पेशी को बहस की गई। बहस अनुसार प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण को खारिज किया गया। पत्रावली में वादीगण के साक्ष्य लिये जाकर साक्ष्य में शपथपत्र PW–1 महादेव गुर्जर का व PW–2 कल्याण गुर्जर का व PW–3 जीवण गुर्जर का प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–01 व पत्थरगढ़ी के

समय तैयार किया गया मौका पर्चा पदर्श–02, है। पत्रावली वास्ते जिरह हेतु आगामी पेशी दिनांक नियत रहीं परन्तु पूर्व में प्रतिवादीगण 01 व 02 के विरूध एकतरफा कार्यवाही होने से जिरह करवाया जाना सम्भव नहीं हैं।

अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रकरण में एकतरफा बहस सुनी गयी। तत्पश्चात बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की आराजी सं. 2547 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का 02 बिस्वा भूमि पर नृसिंह पिता सुरजमल गुर्जर मकान बनाकर एवं कुका पिता सुरजमल गुर्जर निवासी लाम्बियाकलां मजरा चैचीखेड़ा ने बाडा बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है। उस भु–भाग का वादीगण को कब्जा सिपूर्द किया जाना उचित समझते है।

::– आदेश –::

अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 स्वीकार कर तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजियात **ग्राम लाम्बियाकलां पटवार क्षैत्र लाम्बियाकलां भू.अ.नि. क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा** की **आराजी सं. 2547 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा** भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। नपती के संबधं में पक्षकारान् को न्यूनतम 03 दिन पूर्व सूचित किया जावें। नपती के उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर **02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण** पाया जावे तो उक्त अतिकमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 से वादीगण को सिपूर्द किया जावे तथा वादीगण के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू–भाग पर प्रतिवादी बेजादखल्दाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अन्तिम डिकी ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 17/2023 राजस्व वाद

अनवान

1– काना पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
2– कल्याण पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
3– महादेव पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
4– पुखराज पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
5– रतन पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
6– फुलचन्द पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
7– बदाम पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
8– पिंकी पिता जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
9– सोसर पत्नी जगरूप गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
– वादीगण

बनाम

1– नृसिंह गुर्जर पिता सुरजमल गुर्जर निवासी लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
2– कुका पिता सुरजमल गुर्जर लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।
– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:– श्री अरूणचन्द्र देराश्री (अधिवक्ता वादीगण)
श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2)

दिनांक 31.01.2025

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 इस प्रकार डिकी किया जाता है कि **ग्राम लाम्बियाकलां पटवार क्षैत्र लाम्बियाकलां भू.अ.नि. क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा** की **आराजी सं. 2547 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि** को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपति की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 02 का अनाधिकृत अतिकमण **02 बिस्वा भूमि पर** पाया जावे तो उक्त अतिकमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को सूपुर्द किया जावें तथा वादीगण के खातेदार हक एवं हिस्से के भू–भाग पर प्रतिवादीगण बेजाद दखलअंदाजी एवं हस्ताक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। आदेश की पालना में तहसीलदार बनेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि मौके पर नपती के संबधं में पक्षकारान को न्यूनतम तीन दिन पूर्व सुचित कर पुखता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू–भाग से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को सुपूर्द किया जावें।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

यह डिकी आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा